पटना में दिनांक–16 मई, 2025 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 12595.23 लाख (एक अरब पचीस करोड़ पंचानवे लाख तेईस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

2. जल–जीवन–हरियाली अभियान का वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में इसके क्रियान्वयन पर होने वाले अनुमानित व्यय कुल 24511.55 करोड़ (दो सौ पैंतालीस अरब ग्यारह करोड़ पचपन लाख) रूपये की स्वीकृति तथा विस्तारित अवधि में इसके प्रशासनिक मद पर होने वाले अनुमानित व्यय कुल 103.69 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृति के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

3. प्रखंड–सह–अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ–सफाई बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

4. औरंगाबाद जिला के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–3 एवं 4 के अन्तर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा–5 अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा–6 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत दरभंगा जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,86,15,52,100/–(एक सौ छियासी करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार एक सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत बक्सर सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 2,55,88,35,000/–(दो सौ पचपन करोड़ अट्ठासी लाख पैंतीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**6.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत औरंगाबाद जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 72,44,65,400/–(बहत्तर करोड़ चौवालीस लाख पैंसठ हजार चार सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**7.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8.	"सोनपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।	**8.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9.	सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–3, 4 एवं 7 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 के अंतर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा–5 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा–6 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10.	केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 148,08,37,500/–(एक सौ अड़तालीस करोड़ आठ लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**10.**	**स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

11.	कुल ₹ 27,84,93,27,422.00 (सताईस अरब चौरासी करोड़ तिरानवे लाख सत्ताईस हजार चार सौ बाईस रूपये) मात्र की राशि की लागत से 1069 (एक हजार उनहत्तर) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण एवं पंचायत सरकार भवन के परिसर में सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का निर्माण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**11.**	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. सहरसा जिलान्तर्गत अंचल–सत्तरकटैया के मौजा–सत्तर, थाना सं०–173 के खाता सं०–754 के विभिन्न खेसरा में कुल प्रस्तावित रकबा–21.27 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) गैरमजरूआ खास भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–औरंगाबाद के मौजा–रामडीहा एवं गंगटी के क्रमशः थाना सं०–567 एवं 568 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–3.96 एकड़ भूमि (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) सिंचाई विभाग की अर्जित भूमि केन्द्रीय विद्यालय, औरंगाबाद के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. सिवान जिलान्तर्गत अंचल–जिरादेई के मौजा–भौसाखाल, थाना सं०–154, खाता सं०–840, खेसरा सं०–2654, रकबा–05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म–परती कदीम भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. सारण जिलान्तर्गत अंचल–छपरा सदर के मौजा–दहियांवा, थाना सं०–284 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–5.00 एकड़ भूमि (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) केन्द्रीय विद्यालय, छपरा के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–गोह के मौजा–देवकुण्ड, थाना सं०–229, खाता सं०–91, खेसरा सं०–390, रकबा–04 एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म–परती भूमि केन्द्रीय विद्यालय, देवकुण्ड के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृहित के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. बक्सर जिलान्तर्गत अंचल–बक्सर के मौजा–बक्सर किला, थाना सं०–332, खाता सं०–292 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–3.81 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) किस्म–धनहर–I सिंचाई विभाग, बिहार, पटना की भूमि केन्द्रीय विद्यालय, बक्सर के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. शिवहर जिलान्तर्गत अंचल–पिपराही के मौजा क्रमशः बेलवा नरकटिया निजामत एवं बेलवा नरकटिया बंदोबस्ती, थाना सं०–125 एवं 126 के विभिन्न खाता एवं खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा–8.0575 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) बिहार सरकार की भूमि पर बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–4(ए) के तहत निर्माणाधीन हेड रेगुलेटर एवं तटबंध निर्माण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल–मुशहरी के मौजा–कन्हौली बिशुनदत्त, थाना सं०–411, खाता सं०–1010 के विभिन्न खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा–32.68 एकड़ भूमि खतियानी रैयत बिहार सरकार के विभिन्न किस्म की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–06 केन्द्र के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल–झंझारपुर के मौजा–नरूआर, थाना सं०–159 के खाता सं०–1284 एवं 1285 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–16.32 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) अनावाद बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि जैव विविधता पार्क/पारिस्थितिकी पार्क निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

21. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 246% के स्थान पर 252% महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा 54,213.77 करोड़ रूपये (चौवन हजार दो सौ तेरह करोड़ सतहत्तर लाख रूपये) बाजार ऋण सहित कुल 58,193.52 करोड़ रूपये (अन्ठावन हजार एक सौ तिरानवे करोड़ बावन लाख रूपये) के ऋण उगाही की स्वीकृति। **24. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

25. वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अन्तर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक (Supernumerary) पदों के अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

विधि विभाग

26. माननीय उच्च न्यायालय, पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजलीय भवनों यथा प्रशासनिक एवं आई०टी० भवन, ऑडोटोरियम एवं ADR भवन, मल्टी लेबल कार पार्किंग भवन, टाईप 'बी' आवासीय भवन, टाईप 'सी०' एवं 'डी०' आवासीय भवन, हाई साईड सर्विस भवन आदि निर्माण के निमित्त रू०–302,56,00,000/–(तीन सौ दो करोड़ छप्पन लाख रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **26. स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

27. सहकारिता विभाग के अधीन नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की उपलब्धता हेतु सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 333 (तीन सौ तैतीस) पदों के सृजन के संबंध में। — **27. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

28. राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में। — **28. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

29. नवसृजित मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु पदसृजन के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

30. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

31. राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाईटी के गठन के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

32. सिविल अपील संख्या–4643–4646/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.11.2007 को पारित न्यायादेश के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों एवं आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित क्रमशः विज्ञापन संख्या–04/2020 एवं 05/2020 के अंतर्गत कुल 47 GAMS (GRADUATE IN AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को प्रस्तुत संलेख की कंडिका–7 में निहित शर्तों के तहत मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्त करने के संबंध में। — **32. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

33. डा० रविश कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय, मुंगेर को दिनांक–10.09.2021 से 30.06.2023 तक एवं दिनांक–30.09.2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **33. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

34. डा० जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (शिशु रोग) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक–06.08.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **34. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

35. डा० अनुप जॉन सोरेन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया को दिनांक–23.03.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **35. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

36. डा० सोनी कुमारी गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन, लखीसराय को दिनांक–09.02.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **36. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

37. डा० विमलेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपसी, चेवाड़ा, शेखपुरा को दिनांक–16.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **37. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

38. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने पर स्वीकृति के संबंध में। **38. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

39. "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–गोराडीह, मौजा–अजीजपुर पिथना में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5632.60 लाख (छप्पन करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **39. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

40. "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत अररिया जिलान्तर्गत अंचल–अररिया में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5697.46 लाख (छप्पन करोड़ सन्तानवे लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **40. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

41. "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल–मांझा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5600.74 लाख (छप्पन करोड़ चौहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **41. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

42. आत्म निर्भर बिहार की सात निश्चय–2 के अन्तर्गत नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू०) मात्र की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। **42. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

43. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–मोहर्रमपुर, थाना सं०–137 के वार्ड /सीट सं०–1/21, म्यु प्लॉट सं०–54 में कुल प्रस्तावित रकबा–0.0542 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) एल०आई०सी० के स्वामित्व की भूमि पर पटना मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०–2,56,09,500/–(दो करोड़ छप्पन लाख नौ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **43. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

44. समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों में स्वीकृत 45 नये आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र ₹12.00 लाख (बारह लाख रूपये) की दर से केन्द्रांश (100%) ₹5,40,00,000/–(पाँच करोड़ चालीस लाख रूपये) तथा उक्त योजना अंतर्गत 45 नये आँगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु निमित्त अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹2,46,86,190/–(दो करोड़ छियालिस लाख छियासी हजार एक सौ नब्बे रूपये) जिसमें केन्द्रांश ₹1,01,00,700/–(एक करोड़ एक लाख सात सौ रूपये), राज्यांश ₹86,23,800/–(छियासी लाख तेईस हजार आठ सौ रूपये) एवं राज्य योजना ₹59,61,690/–(उनसठ लाख इकसठ हजार छः सौ नब्बे रूपये) के व्यय की स्वीकृति। **44. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

45. राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा—नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 104 अद्द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर०डी०एस०एस० योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पाँच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 945.91 करोड़ (नौ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यानवे लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 630.61 करोड़ (छः सौ तीस करोड़ इक्सठ लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कंपनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **45. स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

46. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (5) तथा धारा 10 की उपधारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या—232 दिनांक—24.02.2023 में आंशिक संशोधन के संबंध में। **46. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

47. पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अन्तर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केन्द्र, बोधगया के निर्माण हेतु 1,65,44,30,000/—(एक सौ पैंसठ करोड़ चौवालिस लाख तीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। **47. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

48. वित्तीय वर्ष 2025—26 में बिपार्ड के पटना परिसर में प्रस्तावित नये भवन (ATI) के निर्माण कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित) के लिए कुल ₹1,26,05,33,000/—(एक अरब छब्बीस करोड़ पाँच लाख तेतीस हजार रूपये) मात्र के पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **48. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

49. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अन्तर्गत उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर—तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" के गठन के संबंध में। **49. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

50. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अन्तर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025" के गठन के संबंध में। **50. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

51. बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023, जो विभागीय अधिसूचना संख्या 36 दिनांक 16.01.2024 द्वारा अधिसूचित है, के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत कुल 170 पदों के चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन किये जाने के संबंध में। **51. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

52. पथ प्रमंडल शेरघाटी (गया) अंतर्गत अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता कोरिडोर (ए०के०आई०सी०) परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (आई०एम०सी०), गया की स्थापना के क्रम में पुराने जी०टी०रोड (एन०एच०–2) के डोभी मोड़ से चंदाग्राम होते हुए बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक 4–लेन पथ निर्माण हेतु 14280.19 लाख (एक सौ बेयालीस करोड़ अस्सी लाख उन्नीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **52. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

53. पथ प्रमंडल ढ़ाका अंतर्गत तेतरिया–नरहा–नरवारा चैनेज 0.00 से चैनेज 12.10 (कुल लंबाई 12.10 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹4522.90 लाख (रूपये पैतालिस करोड़ बाइस लाख नब्बे हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **53. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

54. पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत आँसी–जीरो माईल से कमतौल कोठी भाया विस्फी विद्यापति जन्म स्थली पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6667.64 लाख (रूपये छियासठ करोड़ सड़सठ लाख चौसठ हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **54. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

55. पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत छोटकीपट्टी–बड़गॉव से कदमहवा भाया बड़गॉव–खैरपोखरा–बरवा–बैनाती पथ के चैनेज 0.00 से चैनेज 25.850 कि०मी० (कुल लंबाई 25.85 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एव मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹5867.20 लाख (रूपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **55. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

56. पथ प्रमंडल ढ़ाका अंतर्गत चकिया मधुरापुर चैनेज 0.00 से चैनेज 12.950 (कुल लंबाई 12.950 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹5092.85 लाख (रूपये पचास करोड़ बेरान्वें लाख पच्चासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **56. स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

57. बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹14,94,12,903/–(चौदह करोड़ चौरानवे लाख बारह हजार नौ सौ तीन रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **57. स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

58. राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार डॉ० भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय, प्रखंड–इमामगंज, गया (720 आसन), सदर आरा, भोजपुर तथा रोसड़ा, समस्तीपुर (480 आसन) के भवनों का पुनर्निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन क्रमशः ₹62,62,94,000/–, ₹42,16,77,000/– एवं ₹41,28,90,000/–की दर से कुल ₹146,08,61,000/–(एक सौ छियालीस करोड़ आठ लाख एकसठ हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **58. स्वीकृत।**

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

59. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल पुरनहिया, जिला–शिवहर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹58,05,08,000/–(अट्ठावन करोड़ पाँच लाख आठ हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **59. स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

60. राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार 720 आसन वाले 6 (छः) डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, फतेहपुर, डुमरिया, आमस (गया), जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण) तथा उचकागाँव (गोपालगंज) के भवनों का पुनर्निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन ₹65,80,11,000/– प्रति विद्यालय की दर से कुल (₹65,80,11,000 x 06)= ₹394,80,66,000/–(तीन सौ चौरान्वे करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **60. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

61. विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (बी०डब्लू०एस०आई० एम०पी०), प्राक्कलित राशि रू० 4415.00 करोड़ (चार हजार चार सौ पन्द्रह करोड़ रूपये मात्र) अंतर्गत 70 प्रतिशत अर्थात् रू० 3090.50 करोड़ (तीन हजार नब्बे करोड़ पच्चास लाख मात्र) विश्व बैंक (आई०बी०आर०डी०) से ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अर्थात् रू० 1324.50 करोड़ (एक हजार तीन सौ चौबीस करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) बिहार सरकार द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जाना है, कि प्रशासनिक एवं व्यय तथा परियोजना के अधीन वस्तुओं, कार्यों एवं सेवाओं इत्यादि की अधिप्राप्ति बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के इत्तर विश्व बैंक के अधिप्राप्ति विनियम (Procurement Regulation) के प्रावधानों के अनुसार की जाने की स्वीकृति। — **61. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

62. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड", पटना का गठन, इसकी उपविधियाँ एवं निबंधन की स्वीकृति के संबंध में। — **62. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

63. वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संकर धान के माध्यम से धान की उत्पादन में वृद्धि के कार्यान्वयन हेतु कुल 4500.00 लाख (पैंतालीस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **63. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

64. एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षों के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 3199.00 लाख (इकतीस करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **64. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

65. पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लम्बाई के 85 पुलों का इंडिपेन्डेन्ट थर्ड पार्टी ब्रीज सेफ्टी ऑडिट करने हेतु, नामांकन के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को चयनित करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में ₹1661.08571 लाख (सोलह करोड़ इकसठ लाख आठ हजार पाँच सौ इकहत्तर) व्यय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **65. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

66. श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मानसी, खगड़िया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ ही अवैध रूप से की गई वेतन निकासी की वसूली एवं निलंबन अवधि में उन्हें जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में। **66. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

67. "ऑपरेशन सिन्दूर" में सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख (पचास लाख) रूपये स्वीकृत करने संबंध में। **67. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

68. स्व० सुशील मोदी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री बिहार सरकार एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य की जन्म तिथि प्रत्येक वर्ष 05 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने के संबंध में। **68. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

69.	पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मद्देनजर ''गया'' शहर का नाम ''गया जी'' करने के संबंध में।	**69.**	**स्वीकृत।**